

भारत संघ और अन्य

बनाम

मैसर्स हमदर्द (वक्फ) प्रयोगशालाएँ

(सिविल अपील संख्या 1666/2006)

25 फरवरी 2016

(दीपक मिश्रा और शिव कीर्ति सिंह, जे.जे.)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 - धारा 11-बीबी - विलंबित रिफंड पर ब्याज -मीठे गैर-अल्कोहल पेय के वर्गीकरण पर निर्णय - इसके बाद, शुल्क की वापसी के लिए निर्धारिती द्वारा आवेदन - सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुल्क की वापसी - चूंकि रिफंड राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया था, इसलिए निर्धारिती द्वारा रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने राजस्व को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया- अपील - अभिनिर्धारित: शुल्क वापसी की न्यायिक प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जानी आवश्यक है - धारा 11बी(1) के तहत रिफंड के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति की तारीख से धारा 11बीबी के तहत राजस्व का ब्याज भुगतान करने के लिए दायित्व शुरू होता है - वर्तमान मामले में, रिफंड देने में देरी हुई है - इसलिए, निर्धारिती ब्याज का हकदार है।

रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (2011)
10 एससीसी 292: 2011 (13) एससीआर 1 - पर भरोसा किया गया।

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य
(1997) 5 एससीसी 536: 1996 (10) सप्ल एससीआर 585 - प्रभेद किया
गया।

हमदर्द (वक्फ) प्रयोगशालाएँ बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर,
मेरठ (1999) 6 एससीसी 617 का उल्लेख किया गया है।

केस कानून संदर्भ

(1999) 6 एससीसी 617 निर्दिष्ट पैरा 3

2011 (13) एससीआर 1 भरोसा किया पैरा 12

1996 (10) पूरक एससीआर 585 प्रभेद किया पैरा 19

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1666/2006

यशंक पी. अध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता सजंय कुमार पाठक, रितेश
कुमार, बी. कृष्ण प्रसाद अपीलकर्ताओं के अधिवक्तागण

एस.बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री पवन उपाध्याय, सुश्री
अनीशा उपाध्याय, सुश्री परम मिश्रा, कौस्तुब पी. पाठक, सर्वजीत पी. सिंह,
सुश्री शर्मिला उपाध्याय, सुश्री नीरू वैद, प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जे. द्वारा पारित किया गया :-

1. प्रतिवादी, मैसर्स हमदर्द (वक्फ) लेबोरेटरीज, रूह अफजा सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है, जो एक मीठा गैर-अल्कोहल पेय है, और प्रत्यर्थी ने इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1986 (संक्षेप में, 'टैरिफ अधिनियम'), की अनुसूची के उप-शीर्षक 2201.90 के तहत वर्गीकृत माना है लेकिन राजस्व ने निर्धारिती-प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए वर्गीकरण को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि यह टैरिफ अधिनियम के उप-शीर्ष 2107.91 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

2. वर्गीकरण से संबंधित कैविल (वितण्डा/नुकताचीनी) के कारण, अंतर शुल्क की वसूली के लिए कदम उठाए गए और की गई मांगों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी-निर्माता ने संबंधित प्राधिकारी द्वारा मांग के अनुसार शुल्क का भुगतान करना शुरू कर दिया। जैसा कि कहा गया है, प्रारंभिक निर्णायक, यानि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त ने निर्धारिती के रुख को स्वीकार नहीं किया। उक्त शिकायत/पीडा ने प्रतिवादी को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील करने के लिए मजबूर किया, जिसने निर्धारिती के रुख को नकारात्मक कर दिया। दुखी होकर निर्धारिती ने केंद्रीय, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में,

‘न्यायाधिकरण’) के समक्ष अपील की, जो नीचे दिए गए मंचों द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हुआ और परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई।

3. अधिकारण द्वारा दिए गए फैसले पर 1995 की सिविल अपील संख्या 7766 में निर्धारिती द्वारा सवाल उठाया गया था। हमदर्द (वक्फ) प्रयोगशालाओं बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मेरठ (1999)6 SCC 617 मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया, उत्पाद से संबंधित वर्गीकरण, अर्थात्, शरबत रूह अफजा और सवाल उठाया कि क्या उक्त “शरबत” टैरिफ शीर्षक 2201.90 के भीतर था, जैसा कि निर्धारिती द्वारा तर्क दिया गया था या शीर्षक 2107.91 के तहत था, जैसा कि उत्पाद शुल्क अधिकारी बनाए रखेंगे और विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के बाद, स्वीकार किया गया। निर्धारिती का रुख कि यह एक गैर-अल्कोहल पेय है और राजस्व के रुख को खारिज कर दिया और परिणामस्वरूप अपील की अनुमति दी।

4. यहां बता दें कि इस न्यायालय ने 4 अगस्त, 1999 को अपने फैसले में कहा था कि यह शीर्ष 2201.90 की अवधि के अंतर्गत आता है और तदनुसार, अधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और आगे परिणामी राहत का पालन करने का निर्देश दिया। संपूर्णता के लिए, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 7 और 8 नीचे दिए गए हैं:-

“7. ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उक्त शरबत एक पेय नहीं था, बल्कि इसकी तैयारी थी। तथ्य यह है कि उक्त शरबत के इन बड़े चम्मच को पीने योग्य बनाने के लिए एक गिलास पानी में मिलाया जाना चाहिए। हमारे विचार में, उक्त शरबत को एक पेय नहीं बल्कि एक पेय की तैयारी बनाएं। यदि ऐसा होता, तो कई पेय पदार्थ जो स्ववैश हैं, वे पेय नहीं होंगे उदाहरण के लिए पारले एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (नॉर्दन इंडस्ट्रीज बनाम सीसीई (1988) 37 ईएलटी 229 (ट्रिब्यूनल) के मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैरा 5 देखें) और नॉर्थलैंड इंडस्ट्रीज के मामले में ट्रिब्यूनल के फैसले के पैरा 12 वगैरह (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के 4.5.1995 के फैसले और आदेश से) 1994 के एफ.ए. संख्या 65 में आयोग, नई दिल्ली, देखे) हमें ऐसा लगता है कि अध्याय 21 के नोट 5 के खंड (जे) में “नींबू पानी या अन्य पेय पदार्थों की तैयारी वाक्यांश का उद्देश्य उन औद्योगिक सांद्रणों को संदर्भित करना था जिनसे सोडा पानी और इसी तरह के पेय बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं, न कि उक्त शरबत जैसी घरेलू उपयोग की तैयारी के लिए।

8. प्रत्यर्थीगण के लिए यह दिखाना आवश्यक था कि शीर्षक 21.07 की शब्दावली को ध्यान में रखते हुए कि उक्त शरबत "कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं था। कि हमारे विचार से ऐसा नहीं किया गया। वास्तव में, जैसा कि हम देखते हैं, यह शीर्षक 2202.90 की शर्तों के अंतर्गत आता है"

इस समय, यह बताना आवश्यक है कि प्रारंभ में जब 04.08.1999 को निर्णय सुनाया गया था, तो पैराग्राफ 8 में "शीर्ष 2201.90 की शर्तों के भीतर" उल्लेख किया गया था और इसे एक शुद्धिपत्र द्वारा सही किया गया है। हम बाद में सुधार के तथ्य और उसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे।

5. फैसला सुनाए जाने के बाद, प्रतिवादी ने रिफंड देने के लिए 25 अगस्त, 1999 को एक आवेदन दायर किया। राजस्व ने जवाब में पत्र संख्या सी.नं. वी(18) संदर्भ/311/99/7041 दिनांक 27.09.1999 प्रतिवादी-निर्धारिती को निम्नानुसार सूचित किया गया: -

“आपसे यह दर्शाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है आपके द्वारा 3.74 करोड़ रुपये का शुल्क डेबिट/जमा की गई ड्यूटी को आपके ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया गया.यह भी देखा गया है कि आपने प्रविष्टि संख्या 956 दिनांक 26.5.95 के माध्यम से पीएलए में

डेबिट किए गए 54,00,000/- रुपये के संबंध में सी.ई. नियमों के नियम 233 बी के तहत विरोध पत्र की प्रति जमा नहीं की है।

आपको इस पत्र की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर उपरोक्त दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया जाता है ताकि आपके दावे पर कार्रवाई की जा सके।”

6. उक्त पत्र का उत्तर 30.09.1999 को दिया गया था। उत्तर का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“टीआर 6 के विरुद्ध 3,20,00,000.00 रुपये की राशि सीधे बैंक में जमा की गई थी, जिसके लिए पीएलए में कोई क्रेडिट नहीं लिया गया था और शेष 54,00,000.00 रुपये की राशि अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रेंज-प्ट, डिविजन प् गाजियाबाद की उपस्थिति में विरोध के तहत पीएलए से डेबिट की गई थी। इस प्रकार जब हमारे द्वारा सहायक आयुक्त के निर्णय आदेश के विरुद्ध जमा करने के अलावा किसी अन्य तरीके से राशि का उपयोग नहीं किया गया, तो इसे पारित करने का प्रश्न या दायरा उपभोक्ता पर कोई सवाल नहीं उठता। हालाँकि, हम प्रमाणित करते हैं कि हमने

3,74,00,000.00 रुपये की यह राशि अपने ग्राहकों को नहीं दी है।

सहायक आयुक्त के न्याय निर्णयन आदेश के विरुद्ध रु. 54,00,000.00 की राशि डेबिट करने के बाद पीएलए में डेबिट प्रविष्टि संख्या 956 दिनांक 26.5.95 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि डेबिट प्रोटेस्ट के तहत किया गया था जिसे उस समय अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रेंज-प्ट, डिवीजन ए गजियाबाद द्वारा भी देखा/प्रमाणित किया गया था”

7. उक्त उत्तर प्राप्त होने के बाद, मामला सक्षम प्राधिकारी, यानि सहायक आयुक्त (डिवी. ए), गजियाबाद द्वारा उठाया गया था। उक्त प्राधिकारी ने मुकदमे का इतिहास और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दर्ज किया और निम्नानुसार राय दी: -

“मैंने पक्षकार द्वारा उनके जवाब में और व्यक्तिगत सुनवाई के समय दिए गए दावे के कागजात और प्रस्तुतीकरण की सावधानीपूर्वक जांच की है। विरोध के तहत प्रविष्टि संख्या 956 दिनांक 26.6.95 के तहत पीएलए में 5,40,000.00 रुपये जमा करने के संबंध में, मैंने देखा कि पक्षकार का विवाद तर्कसंगत है क्योंकि 8.9.94 के विरोध

पत्र में 8.9.94 को विरोध के तहत किए गए सभी भुगतानों का विरोध किया गया है और उनके विचार को सीसीई, मेरठ बनाम सिटुर्जिया बायोकेमिकल लिमिटेड के मामले में समर्थन मिलता है। 1998 (101) 568 (एससी) अन्यथा भी, मुझे लगता है कि 54 लाख रुपये का भुगतान, जिसे "विरोध के तहत" पृष्ठांकित किया गया था, उसी तिथि यानि 26.5.95 को रैंज अधीक्षक द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया था और यह नियम 2338 का पर्याप्त अनुपालन है।

ग्राहकों को शुल्क तत्व पारित करने के संबंध में, मैंने आयुक्त (अपील), गाजियाबाद द्वारा पारित ओ-आई-ए 600-सीई/एमआरटी/94 दिनांक 10.01.95 की सावधानीपूर्वक जांच की, जिन्होंने उपरोक्त ओ-आई-ए में निर्णय लिया था कि किसी मूल्यांकन योग्य किसी भी उत्पाद शुल्क सामान पर देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, शामिल नहीं है। इसलिए, सह-शुल्क मूल्य के मामले में, उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उत्पाद शुल्क और अन्य करों में छूट की अनुमति दी जानी है और

तदनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं द्वारा देय अंतर शुल्क थोक मूल्य से उत्पाद शुल्क और अन्य स्वीकार्य कटौती, यदि कोई हो, की छूट की अनुमति देने के बाद सहायक कलेक्टर द्वारा पुनर्गणना की जानी चाहिए।”

इस दृष्टिकोण से, उक्त प्राधिकारी ने धनवापसी के आवेदन की अनुमति दे दी।

8. यहां उल्लेख किया गया कि रिफंड के लिए आवेदन दायर किए जाने के बाद और राजस्व निर्धारिती के साथ पत्राचार के बाद निर्धारिती के लिये यह अपेक्षित था कि वर्गीकरण से संबंधित टंकणीय त्रुटि के संबंध में इस न्यायालय से सुधार आदेश प्राप्त करे। जैसा कि पहले कहा गया है, इस न्यायालय के मूल आदेश में, वर्गीकरण का उल्लेख 2201.90 के रूप में किया गया था जिसे एक शुद्धिपत्र द्वारा सही करके इसे “2202.90” बना दिया गया था। जैसा भी हो, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसका वर्तमान पर न तो कोई असर है और न ही कोई प्रभाव है।

9. अब फ्लैश बैंक में आते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, पीएनबी नवयुग मार्केट, गाजियाबाद में देय चेक संख्या 639266 दिनांक 15.11.2000 द्वारा 3,74,00,000/- रुपये की राशि वापस कर दी गई। चूँकि अपीलकर्ता द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया गया, प्रतिवादी ने

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 की एक सिविल विविध रिट याचिका संख्या 249 दायर की। डिवीजन बेंच ने इस न्यायालय द्वारा 1995 की सिविल अपील संख्या 7766 में दिए गए फैसले पर विचार करते हुए, रिफंड के लिए आवेदन के निपटान के लिए निर्धारित समय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 11-बीबी में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखा और आगे पक्षकारों के आचरण की सराहना करते हुए, राय दी कि ब्याज के भुगतान के लिए दायित्व वैधानिक है और यह अधिनियम की धारा 11-बीबी के तहत निर्दिष्ट दर पर 26 नवंबर, 1999 से 15 नवंबर, 2000 तक ब्याज का भुगतान करना सहायक आयुक्त का बाध्य कर्तव्य है। उपरोक्त निष्कर्ष ने डिवीजन बेंच को रिट याचिका को उस लागत के साथ अनुमति देने के लिए प्रेरित किया, जिसका मूल्यांकन 10,000/- रुपये किया गया था। उक्त आदेश विशेष अनुमति द्वारा अपील का विषय है।

10. हमने वरिष्ठ वकील श्री यशांक अध्याय को अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री संजय कुमार पाठक के साथ और प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस.बी. उपाध्याय, विद्वान वकील सुश्री शर्मिला उपाध्याय को सुना।

11. जिन तथ्यों को हमने यहां-ऊपर दर्शाया है, वे विवाद में नहीं हैं। राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अध्याय द्वारा यह तर्क

दिया गया है कि धारा 11-बी जो शुल्क की वापसी के अनुदान से संबंधित है, को सख्ती से समझा जाना चाहिए और, यदि उसमें उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं होता है, तो आवेदन को अस्वीकार करना होगा। उक्त तर्क को स्पष्ट करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि यदि कोई दोषपूर्ण आवेदन है या कोई आवेदन वैधानिक प्रावधान के तहत निर्धारित अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि कानून की नजर में कोई आवेदन नहीं है और इसलिए, अवधि उस तारीख से शुरू होनी चाहिए जब दोषों को ठीक किया जाता है। संक्षेप में, निवेदन यह है कि उक्त प्रावधान में तीन महीने का प्रस्पक्रपश्च तब शुरू होना चाहिए जब आवेदन को क्रम में लाने के लिए उचित रूप से सुधार किया जाए, और उक्त प्रावधान में निहित आवश्यक निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए निर्णय होना चाहिए अन्यथा, जो व्यक्ति रिफंड पाने के हकदार नहीं हैं, वे रिफंड और तकनीकी स्कोर पर ब्याज का लाभ उठाने की स्थिति में होंगे। उक्त प्रस्तुतिकरण को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर अत्यधिक जोर दिया है। उन्होंने आग्रह किया कि कोई उचित आवेदन नहीं किया गया था और वास्तव में, जब दोषों के बारे में सूचित किया गया था, तो उन्हें उचित रूप से ठीक नहीं किया गया था और चीजें केवल निर्णय के समय सामने आईं और उसके बाद काफी तत्परता से राशि का भुगतान किया गया था। इसलिए, एक चेक का और ब्याज का दावा बिल्कुल

अनुचित है और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज का अनुदान पूरी तरह से असंधारणीय है।

12. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री उपाध्याय का तर्क देंगे कि प्रेजेंटी में एक विशेष फॉर्म की अनुपस्थिति में आवेदन शुरुआत से क्रम में था और किसी भी मामले में, अवधि आवेदन जमा करने की तारीख से शुरू होती है जिसे एक वर्ष के भीतर दाखिल करना आवश्यक है। यह उनके द्वारा सामने रखा गया है कि समय उस दिन से चलता है और यह राजस्व के लिए खुला है कि वह निर्धारिती से दोषों को दूर करने के लिए कह सके और यदि दोष दूर नहीं होते हैं तो वह आवेदन को अस्वीकार कर सकता है लेकिन यह वैधानिक अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति राजस्व द्वारा समय का अनुमानित विस्तार नहीं हो सकता है। उक्त प्रस्तुतिकरण को मजबूत करने के लिए, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (2011) 10 scc 292 पर भरोसा रखा गया है।

13. विवाद को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, रिफंड और ब्याज से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करना प्रतीत होता है। धारा 11-बी ऐसे शुल्क पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, की वापसी के दावे से संबंधित है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:-

“धारा 11 बी शुल्क और ब्याज की वापसी का दावा, यदि कोई हो, ऐसी इयूटी पर भुगतान किया गया- (1) कोई भी व्यक्ति जो ऐसी इयूटी पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, की वापसी का दावा करता है, तो वह ऐसी इयूटी पर भुगतान किए गए ऐसे शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, की वापसी के लिए सहायक आयुक्त को आवेदन कर सकता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप आयुक्त प्रासंगिक तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसे फॉर्म और तरीके से जैसा निर्धारित किया गया है और आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (धारा 12 ए में निर्दिष्ट दस्तावेजों सहित) संलग्न किए जाएंगे। जैसा कि आवेदक यह स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है कि ऐसे शुल्क पर भुगतान की गई उत्पाद शुल्क और ब्याज की राशि, यदि कोई हो, जिसके संबंध में इस तरह के रिफंड का दावा किया गया है, उससे एकत्र किया गया था, या उसके द्वारा भुगतान किया गया था और ऐसे शुल्क और ब्याज की घटना यदि कोई हो, तो ऐसी इयूटी पर भुगतान उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया था:

बशर्ते कि जहां रिफंड के लिए आवेदन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ होने से पहले किया गया हो, ऐसे आवेदन को उक्त अधिनियम और उसी द्वारा संशोधित इस उप-धारा के तहत किया गया माना जाएगा। उस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा:

बशर्ते कि एक वर्ष की सीमा वहां लागू नहीं होगी जहां ऐसी इयूटी पर भुगतान किया गया कोई शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, विरोध के तहत भुगतान किया गया है।

(2) यदि, ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सहायक आयुक्त-केंद्रीय उत्पाद शुल्क या उपायुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क संतुष्ट हैं कि आवेदक द्वारा भुगतान किए गए ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क और ब्याज का पूरा या कुछ हिस्सा, यदि कोई हो, वापसी योग्य है, तो वह तदनुसार आदेश दे सकता है और इस प्रकार निर्धारित राशि निधि में जमा की जाएगी:

बशर्ते कि इस उप-धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप आयुक्त द्वारा निर्धारित शुल्क पर भुगतान की

गई उत्पाद शुल्क और ब्याज की राशि, यदि कोई हो, जमा करने के बजाय निधि का भुगतान आवेदक को किया जाएगा, यदि ऐसी राशि निम्नलिखित से संबंधित है -

(ए) भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले उत्पाद शुल्क योग्य सामानों पर या भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले सामानों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क की छूट,

(बी) आवेदक के पास केंद्र आयुक्त के साथ संधारित चालू खाता में शेष पड़ी अव्ययित अग्रिम जमा राशि ,

(सी) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसार उत्पाद शुल्क योग्य सामानों पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट की वापसी:

(डी) निर्माता द्वारा भुगतान की गई ऐसी इयूटी पर उत्पाद शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान किया गया है, यदि उसने ऐसी इयूटी पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया है

(ई) खरीदार द्वारा वहन किए गए ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, यदि

उसने ऐसे शुल्क पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया है

(एफ) आवेदकों के किसी अन्य वर्ग द्वारा वहन किए गए ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है:

बशर्ते कि पहले परंतुक के खंड (फ) के तहत कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्र सरकार की राय में ऐसी इयूटी पर भुगतान किए गए शुल्क और ब्याज की घटना, यदि कोई हो, संबंधित व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी गई हो।

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश में या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों या किसी अन्य कानून में किसी भी विपरीत बात के बावजूद उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान के अलावा कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। (महत्व जोड़ें)

14. धारा 11-बीबी विलंबित रिफंड के ब्याज से संबंधित है। उक्त प्रावधान नीचे दिया गया है:-

धारा 11-बीबी. विलंबित रिफंड पर ब्याज.- यदि धारा 11 बी की उपधारा (2) के तहत किसी भी आवेदक को शुल्क वापस किए जाने का आदेश दिया गया और उस धारा की उपधारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर शुल्क वापस नहीं किया जाता है तो उस आवेदक को ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जो पांच प्रतिशत से कम नहीं और प्रति वर्ष तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तय किया गया है। ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ऐसे शुल्क की वापसी की तारीख तक तीन महीने की समाप्ति के तुरंत बाद

बशर्ते कि जहां धारा 11 बी की उप-धारा (2) के तहत किसी भी शुल्क को उस धारा की उप-धारा (1) के तहत उस तारीख से पहले किए गए आवेदन के संबंध में वापस करने का आदेश दिया गया हो, जिस तारीख को वित्त विधेयक, 1995 की सहमति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति, ऐसी तारीख से तीन महीने के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इस

धारा के तहत आवेदक को ऐसी तारीख से तीन महीने के तुरंत बाद की तारीख से ऐसे शुल्क की वापसी की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- जहां रिफंड का कोई भी आदेश आयुक्त (अपील), अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण या किसी अदालत द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप आयुक्त के आदेश के खिलाफ किया जाता है, उप-धारा 11 बी की धारा (2) के अंतर्गत, आयुक्त (अपील), अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण या, जैसा भी मामला हो, न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस धारा के प्रयोजन के लिये उप-धारा(2) के तहत पारित आदेश माना जाएगा।"

15. धारा 11-बी की उपधारा (2) निर्धारिती द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने का प्रावधान करती है। इसमें यह भी कहा गया है कि उक्त प्राधिकारी को संतुष्ट होना आवश्यक है कि ऐसे शुल्क पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क और ब्याज यदि कोई हो पूर्ण या उसका कोई भाग वापसी योग्य है। श्री अध्याय द्वारा प्रस्तुत आवेदन, कानून में एक आवेदन होना चाहिए। धारा 11-बीबी जो विलंबित रिफंड पर ब्याज से संबंधित है, स्पष्ट रूप से और वर्गीकृत रूप से बताती है कि यदि धारा 11-

बी की उप-धारा (2) के तहत वापस करने का आदेश दिया गया कोई भी शुल्क आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर वापस नहीं किया जाता है। धारा 11-बी की धारा (1), आवेदक को ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के तुरंत बाद की तारीख से लेकर ऐसे शुल्क की वापसी की तारीख तक अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। महत्वपूर्ण शब्द हैं "ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति। वर्तमान मामले में, आवेदन 25 अगस्त, 1999 को दायर किया गया था। उक्त आवेदन, धारा 11-बी की उप-धारा (2) के तहत दायर किया गया था। हमें 30 मई, 1995 के परिपत्र से अवगत कराया गया है। यह धारा 11-बीबी के तहत विलंबित रिफंड के ब्याज से संबंधित है। उक्त परिपत्र का पैराग्राफ 2 प्रासंगिक होने के कारण है ए बी सी नीचे पुनरुत्पादित:-

“2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सीई एंड एसए, 1944 की धारा 11 बीबी के तहत दावा किए गए रिफंड के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

(ए) रिफंड आवेदन अनिवार्य रूप से सहायक कलेक्टर के कार्यालय में दायर किया जाना चाहिए, न कि रेंज अधीक्षक के पास।

(बी) किसी आवेदन की प्राप्ति के तुरंत बाद, उसकी पूर्णता के लिए उसकी जांच किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का न हो।

(सी) प्रारंभिक जांच पहले से निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी की पूर्णता के संबंध में , रिफंड दावों को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेजों के सत्यापन और शुल्क के भुगतान के साक्ष्य के संबंध में की जानी चाहिए।

(डी) उपर्युक्त सत्यापन के तुरंत बाद एक पावती जारी की जानी चाहिए जो धारा 11-बीबी के संदर्भ में रिफंड आवेदन की प्राप्ति का प्रमाण होगी। धारा 11-बीबी के अनुसार 3 महीने की अवधि की गणना रिफंड आवेदन की प्राप्ति की तारीख के बाद की तारीख से लेकर रिफंड के लिए चेक भेजने की तारीख तक की जाएगी।

(इ) कलेक्टर को संभागीय सहायक कलेक्टर को एक अधिकारी नामित करने का निर्देश देना चाहिए जो प्रारंभिक सत्यापन करेगा और उसकी पावती जारी करेगा।

(एफ) ऐसी पावती छुट्टियों को छोड़कर, रिफंड आवेदन की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर जारी की जानी चाहिए।

(जी) जहां रिफंड आवेदन अधूरा पाया जाता है, वहां रसीद के 48 घंटों के भीतर आवश्यक अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज में कमियों को बताते हुए एक पत्र जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में पत्र केवल अधीक्षक के अनुमोदन से जारी किया जाएगा और धारा 11-बीबी के प्रयोजन के लिए 3 महीने की अवधि की गणना सभी अपेक्षित जानकारी या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी।

(एच) कलेक्टर कमियों को सूचित करने या रिफंड आवेदन की प्राप्ति की पावती के लिए साइक्लोस्टाइल्ड परफॉर्मा का उपयोग कर सकता है।

(आई) विभिन्न दस्तावेजों की चेक-सूचियाँ जिन्हें विभिन्न प्रकार के रिफंड दावों के साथ दायर किया जाना चाहिए जो यहां दिशानिर्देशों के रूप में उपयोग करने के लिए संलग्न हैं। हालाँकि, सूची को संपूर्ण नहीं माना जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो किसी भी अन्य दस्तावेज को उसमें शामिल किया जा सकता है और निर्धारिती से मांगा जा सकता है।

16. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री उपाध्याय ने पैराग्राफ (जी) पर अपना रुख कायम रखा है, जिसमें प्रावधान है कि जहां रिफंड आवेदन अधूरा पाया जाता है, वहां 48 घंटों के भीतर कमियों को बताते हुए एक पत्र जारी किया जाएगा। उक्त परिपत्र भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है, यह राजस्व पर बाध्यकारी है लेकिन राजस्व ने 48 घंटे के भीतर आवेदन में कोई कमी नहीं बताई है। इसके विपरीत, इसने 27 सितंबर, 1999 को एक पत्र जारी किया था। हम पहले ही उक्त संचारण को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं। उक्त पत्र की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि राजस्व द्वारा दो पहलुओं का उल्लेख किया गया था। वे क्षेत्र से संबंधित हैं कि क्या निर्धारिती ने दूसरों को कर्तव्य सौंप दिया है और क्या जो राशि जमा कराई गई वह विरोध स्वरूप की गई थी। निर्धारिती को तीन दिन का समय दिया गया और तीन दिन की अवधि के भीतर, यानी 30 सितंबर 1999 को यह कहकर इसका अनुपालन किया गया कि निर्धारिती द्वारा किसी भी उपभोक्ता को शुल्क हस्तांतरित नहीं किया गया था विरोध स्वरूप राशि जमा करायी गयी। उक्त संचारण के साथ, कार्यवाही शुरू की गई ताकि सक्षम प्राधिकारी धारा 11-बी की उप-धारा (2) के तहत संतुष्ट हो सके। उस प्रक्रिया के दौरान, 1 दिसंबर को एक संचारण किया गया था। 1999 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सुधारने के लिए कहा गया क्योंकि वर्गीकरण के संबंध में एक गलती थी। हम पहले ही कह चुके हैं कि आदेश में सुधार का ब्याज के निर्धारण पर

कोई असर नहीं पड़ेगा। उक्त पहलू पर कोई विशेष जोर नहीं दिया जा सकता। जैसा कि स्पष्ट है, दस्तावेजों, बही-खातों और अन्य दस्तावेजों के उत्पादन के बाद, निर्णायक प्राधिकारी ने रिफंड देने का आदेश दिनांक 16.11.2000 पारित किया।

17. मौलिक मुद्दा यह है कि क्या रिफंड देने में देरी हुई है और इसके परिणामस्वरूप, क्या प्रतिवादी-निर्धारिती ब्याज का हकदार है। सूचीबद्ध तथ्यों, प्रस्तुत प्रस्तुतियों और संदर्भित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड (सुप्रा) में बताए गए सिद्धांत की विवेचना करना आवश्यक है। उक्त मामले में, यह सवाल उठा कि क्या अधिनियम की धारा 11-बीबी के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए राजस्व का दायित्व रिफंड के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति की तारीख से शुरू होता है या जिस दिन धनवापसी का आदेश दिया गया है उस समयावधि की समाप्ति पर। दो-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रावधान का विश्लेषण करने के बाद निम्नानुसार निर्णय दिया: -

“12. उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 11 बीबी अधिनियम की धारा 11 बी के तहत धनवापसी के आदेश के बाद ही लागू होती है। अधिनियम की धारा 11 बीबी यह बताती है यदि भुगतान की गई कोई भी इयूटी रिफंड योग्य पाई जाती है और यदि अधिनियम की धारा 11

बी की उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इ्यूटी वापस नहीं की जाती है, तो आवेदक आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा तय की जा सकती है। धारा 11बीबी के परन्तुक के नीचे प्रदर्शित स्पष्टीकरण एक काल्पनिक कल्पना का परिचय देता है जहां शुल्क वापसी का आदेश केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त द्वारा नहीं बल्कि अपीलीय प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा किया जाता है, तो इस धारा के प्रयोजन के लिए आदेश दिया जाता है। ऐसे उच्च अपीलीय प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 11बी की उपधारा (2) के तहत दिया गया आदेश माना जाएगा। यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण का स्थगन से कोई लेना-देना नहीं है वह तारीख जब से धारा 11बीबी के तहत ब्याज देय हो जाता है।

13. स्पष्ट रूप से, अधिनियम की धारा 11बीबी के तहत ब्याज देय हो जाता है, यदि रिफंड के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर,

दावा की गई राशि अभी भी वापस नहीं की जाती है। इस प्रकार, धारा 11बीबी की एकमात्र व्याख्या यह है कि उक्त धारा के तहत ब्याज धारा 11 बी की उप-धारा (1) के तहत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर देय हो जाता है। अधिनियम और उक्त स्पष्टीकरण का उस तारीख से कोई संबंध नहीं है जिस तारीख से अधिनियम की धारा 11बीबी के तहत ब्याज देय हो जाता है।" (जोर दिया गया)

18. उक्त पहलू से निपटने के दौरान, न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 01.10.2002 के परिपत्र का भी उल्लेख किया, जिसके तहत रिफंड छूट के दावों का निपटान नहीं करने के लिए जिम्मेदारी तय करने का निर्देश जारी किया गया था। आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने उक्त परिपत्र के महत्व की विवेचना करते हुए न्यायालय ने इस प्रकार राय दी:-

“12. इस प्रकार, 26 मई 1995 से अधिनियम में धारा 11बीबी शामिल किए जाने के बाद से, विभाग ने इसकी व्याख्या के बारे में लगातार रुख बनाए रखा है। आशय, महत्व और इसे लागू करने के तरीके के बारे में बताया गया है। परिपत्र में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसके संबंध में

सुसंगत तारीख अधिनियम की धारा 11 बी के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति है।”

अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज किया गया:-

“19. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, पैरा (1) में तैयार किए गए प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि अधिनियम की धारा 11बीबी के तहत ब्याज का भुगतान करने के लिए राजस्व की देनदारी तीन महीने की समाप्ति की तारीख से शुरू होती है। अधिनियम की धारा 11बी(1) के तहत रिफंड के लिए आवेदन की प्राप्ति, न कि उस तारीख से उक्त अवधि की समाप्ति पर जिस दिन रिफंड का आदेश दिया गया है।”

19. यदि हम मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में दिए गए बड़े बेंच के फैसले का उल्लेख नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्य में असफल होंगे। जिस पर राजस्व के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अध्यारू ने जोरदार ढंग से भरोसा किया है। उन्होंने हमारा ध्यान अनुच्छेद 83 और 91 की ओर आकर्षित किया है। उक्त अनुच्छेदों पर भरोसा करते हुए, श्री अध्यारू द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करने का दायित्व निर्धारिती पर है कि उसने कर्तव्य का बोझ दूसरों पर नहीं डाला है, क्योंकि रिफंड का दावा उक्त आधार पर आधारित है। इस पहलू से निपटने वाली पीठ ने इस प्रकार व्यक्त किया है:

"... जहां याचिकाकर्ता-वादी आरोप लगाता है और स्थापित करता है कि उसने कर्तव्य का बोझ दूसरों पर नहीं डाला है, उसके रिफंड के दावे का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि वह यह आरोप लगाने और स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि उसने बोझ दूसरों पर नहीं डाला है, तो रिफंड के लिए उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा, चाहे ऐसा दावा किसी मुकदमे या रिट याचिका में किया गया हो। यह सार्वजनिक हित बनाम निजी हित को संतुलित करने का मामला है। जहां याचिकाकर्ता-वादी ने स्वयं कोई हानि या पूर्वाग्रह नहीं झेला है (कर्तव्य का बोझ दूसरों पर डाल दिया है), वहां केवल इसलिये कि उसने राज्य को भुगतान किया है, कानून के प्राधिकार के बिना टैक्स (एकत्रित) की वापसी न्याय या साम्या नहीं है। यह उसके लिए अप्रत्याशित लाभ होगा। इसके विपरीत, रिफंड से इनकार करने पर, पैसा राज्य के पास रहेगा और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध रहेगा। पैसा वास्तव में किसी तीसरे पक्ष का है - न तो याचिकाकर्ता/वादी का, न ही राज्य का - और ऐसे तीसरे पक्ष को यह जाना ही चाहिए। लेकिन जहां ऐसा नहीं किया जा सकता, वहां बेहतर है कि इसे राज्य अपने पास रखे। तर्कसंगतता के किसी भी मानक से, यह

बेहतर है कि इसे राज्य द्वारा बरकरार रखा जाए।
तर्कसंगतता के किसी भी मानक के अनुसार, याचिकाकर्ता-
वादी को राज्य पर प्राथमिकता देना मुश्किल है।..."

20. पैरा 91 में, इस न्यायालय ने धारा 11-बी की संवैधानिक वैधता के बारे में बताया। यह तर्क दिया गया कि जो व्यक्ति अपील या अदालत के आदेश के परिणामस्वरूप शुल्क वापसी का हकदार हो जाता है, वहां ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे उप-धारा (1) और (2) की सभी आवश्यकताओं को लागू करने और पूरा करने के लिए भी बाध्य किया जाना चाहिए। जब वह धारा 11-बी के तहत अधिकार के रूप में इस तरह के रिफंड का हकदार है। उक्त तर्क को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और वृहद पीठ ने स्वीकार न करते हुए कहा कि:-

"इस तरह की धारणा 1991 के संशोधन में अंतर्निहित संपूर्ण दर्शन के मूल के विपरीत होगी। उक्त प्रावधान के आधार विचार यह है कि किसी भी रिफंड का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि दावेदार यह स्थापित नहीं कर देता कि उसने बोझ दूसरों पर नहीं डाला है। संशोधित धारा 11-बी की उपधारा (3) सशक्त है। यह अपील/रेंफरेंस/ रिट याचिका में निर्णय के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले रिफंड दावों के मामले में कोई अपवाद बनाने के लिए कोई

जगह नहीं छोड़ता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसे दावों के पक्ष में अपवाद क्यों बनाया जाए जो प्रावधान को काफी हद तक रद्द कर देगा। जहां तक "प्रोत्साहन की कमी" तर्क का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने हमें विराम दिया है, यह निश्चित रूप से एक ठोस दलील है, लेकिन इसके पर्याप्त उत्तर हैं। सबसे पहले, नियम का मतलब है कि केवल वही व्यक्ति जिसने वास्तव में नुकसान या पूर्वाग्रह का सामना किया है, लेवी के खिलाफ लड़ेगा और सफल होने की स्थिति में धनवापसी के लिए आवेदन करेगा। दूसरे, प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था में, जैसा कि हमने 1991-92 से शुरू किया है, निर्माता का स्वार्थ अधिक उत्पादन करने और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इसे बेचने की इच्छा में निहित है। एक अनुकूल निर्णय का मतलब केवल धन वापसी नहीं है, इसका बाद की अवधि के लिए भी लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह सुझाव देना गलत है कि वर्गीकरण, मूल्यांकन और छूट के दावों से संबंधित विवाद केवल रिफंड के लिए लड़े जाते हैं, यह अधिक ठोस कारणों से है, हालांकि धनवापसी की संभावना निश्चित रूप से एक अतिरिक्त आकर्षण है। इसलिए, यह कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि रिफंड न मिलने की संभावना निर्माताओं को अनिवार्यता,

वर्गीकरण, मूल्य सूची के अनुमोदन या छूट अधिसूचना के लाभ के सवालों पर आंदोलन करने से रोक देगी। निरुत्साहन, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा। इस संदर्भ में, यह बताना प्रासंगिक होगा कि 1991 में संशोधन से पहले नियम 11 या उस मामले में धारा 11-बी के तहत स्थिति अलग नहीं थी। नियम 11 के उप-नियम (3) और (4) (जैसा कि इसे 6-8-1977 और 17-11-1980 के बीच प्राप्त किया गया था) एक साथ पढ़ने से संकेत मिलता है कि किसी वरिष्ठ न्यायालय, प्राधिकरण के अपीलीय या अन्य आदेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न धन वापसी का दावा भी उक्त नियम के दायरे में था। हालाँकि अलग तरह से व्यवहार किया गया। 1991 में इसके संशोधन से पहले, धारा 11-बी के तहत भी यही स्थिति जारी थी। इस धारा के उप-धारा (3) और (4) नियम 11 के उप-नियम (3) और (4) के समान हैं, यदि कुछ भी हो, तो उप-धारा (5) अधिक विशिष्ट और सशक्त थी। इसने रिफंड के सवाल पर धारा 11-बी के प्रावधानों को व्यापक बना दिया और सभी रिफंड दावों के संबंध में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर दिया। नियम 11 का उप-नियम (3) या धारा 11-बी की उप-धारा (3) (1991 से पहले) नहीं था। कहते हैं कि किसी वरिष्ठ

प्राधिकारी या अदालत के आदेशों के परिणामस्वरूप या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले रिफंड दावे नियम 11 धारा 11-बी के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने केवल संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप परिसीमन के नियम का गैर-आवेदन हुआ, अन्यथा, अन्य सभी मामलों में, ऐसे रिफंड दावों को भी नियम 11/धारा 11-बी के तहत ही निपटाया जाना था। यह नियम 11 के उप-नियम (3) और धारा 11-बी (1991 संशोधन से पहले) के उप-धारा (3) और (4) का स्पष्ट अर्थ है। संशोधित धारा 11-बी के तहत उस पद से कोई विचलन नहीं है। किसी भी स्थिति में उत्पन्न होने वाले रिफंड के सभी दावे (सिवाय उन प्रावधानों के, जिनके तहत शुल्क लगाया जाता है, असंवैधानिक घोषित किया जाता है), आवश्यक रूप से रिफंड से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत ही दायर, विचार और निपटान किया जाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने समय-समय पर प्राप्त किया। हमें ऐसा कहने में कोई अनुचितता नहीं दिखती।”

21. जहां तक उक्त सिद्धांतों का सवाल है, वे हमारे लिए बाध्यकारी हैं। लेकिन मौजूदा मामले में तथ्य बिल्कुल अलग हैं। यह ऐसा मामला नहीं

है जहां निर्धारिती स्वचालित रिफंड का दावा कर रहा है। यह एक ऐसा मामला है जो ब्याज देने से संबंधित है जहां रिफंड दिया गया है। शिकायत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलंबित तरीके से रेखांकन करने से संबंधित है। हमारी सुविचारित राय में, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत मौजूदा सभी चारों मामले में लागू होगा। राजस्व की ओर से निर्धारिती को दो दिनों के भीतर आवेदन में कमियों को दूर करने के लिए सूचित करना अनिवार्य है और, किसी भी स्थिति में, यदि अभी भी कमियां हैं, तो वह निर्णय के साथ आगे बढ़ सकता है और रिफंड के लिए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। न्यायिक प्रक्रिया को किसी भी हद तक तीन महीने से अधिक नहीं चलाया जा सकता है। इसे तीन महीने के भीतर समाप्त करना आवश्यक है। रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड (सुप्रा) का निर्णय हमारे लिए सराहनीय है और हम सम्मानपूर्वक उससे सहमत हैं।

22. उपरोक्त क्षेत्र में परीक्षण करने पर, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई खामी नहीं दिखती है और, तदनुसार, बिना आधार के अपील खारिज कर दी जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

कल्पना के त्रिपाठी

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. रामचन्द्र चैहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।